

भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में एक जनहति याचिका (PIL) पर केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कारागारों/जेलों में कैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव एवं अलगाव का आरोप लगाया गया था तथा राज्य जेल मैनुअल के तहत उन प्रावधानों को नरिस्त करने के नरिदेश देने की मांग की गई थी जो इस तरह की प्रथाओं को अनविरय करते हैं।

PIL में उजागर किये गए जाति-आधारित भेदभाव के कौन-से उदाहरण हैं?

■ भेदभाव के उदाहरण:

- जनहति याचिका मध्य प्रदेश, दिल्ली और तमलिनाडु की जेलों के उदाहरणों को उजागर करती है, जहाँ खाना पकाने का काम प्रमुख जातियों को आवंटित किया जाता है, जबकि "वशिष्ट नचिली जातियों" को झाडू लगाने और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे काम सौंपे जाते हैं।
 - भारत में जेल प्रणाली पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कायम रखने का आरोप है, जिसमें जाति-पदानुक्रम के आधार पर श्रम का वभिजन और बैरकों का जाति-आधारित अलगाव शामिल है।
- जाति-आधारित श्रम वितरण को औपनिवेशिक भारत का नशान/अवशेष माना जाता है और इसे अपमानजनक एवं कष्टकर माना जाता है, जो कैदियों के सम्मान के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।

■ राज्य जेल मैनुअल मंजूरी:

- याचिका में दावा किया गया है कि विभिन्न राज्यों में जेल मैनुअल, जेल प्रणाली के भीतर जाति-आधारित भेदभाव और जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं।
 - राजस्थान कारागार नयिम, 1951:
 - इस नयिम के तहत जाति के आधार पर मेहतरों को शौचालयों और ब्राह्मणों को रसोईयों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई।
 - तमलिनाडु में पलायमकोट्टई सेंटरल जेल:
 - याचिका में तमलिनाडु के पलायमकोट्टई सेंटरल जेल में कैदियों के जाति-आधारित अलगाव को उजागर किया गया है, जो थेवर, नादर और पल्लार को अलग-अलग वर्गों में वभिजित करने का संकेत देते हैं।
 - पश्चिम बंगाल जेल कोड:
 - मेथर या हर जाति, चांडाल और अन्य जातियों के कैदियों को झाडू-पोंछा लगाने जैसे छोटे-मोटे काम सौंपने के मामले।
 - मॉडल जेल मैनुअल दशानरिदेश, 2003:
 - याचिका में वर्ष 2003 के मॉडल जेल मैनुअल का हवाला दिया गया है, जिसमें सुरक्षा, अनुशासन और संस्थागत कार्यक्रमों के आधार पर वर्गीकरण के लिये दशानरिदेशों पर जोर दिया गया है।
 - यह सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी वर्गीकरण के खिलाफ तर्क देता है।

■ मौलिक अधिकार:

- याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों पर [1978] में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि केवल कैदी होने से कोइयकता मौलिक अधिकार या समानता कोड नहीं खो देता है।

■ भेदभावपूर्ण प्रावधानों को नरिस्त करने का आह्वान:

- याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और जेल प्रणाली के भीतर समानता का समर्थन करते हुए, राज्य जेल मैनुअल में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को नरिस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

जेलों में जातिगत भेदभाव पर सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणियाँ क्या हैं?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि 10 से अधिक राज्य जेल मैनुअल जाति-आधारित भेदभाव और जबरन श्रम का समर्थन करते हैं।
 - राज्यों में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और तमलिनाडु

शामलि हैं।

- जाति-आधारित भेदभाव, अलगाव और जेलों के अंदर **व्यक्तिगत जनजातियों** के साथ “आदतन अपराधियों (habitual offenders)” के रूप में व्यवहार को SC द्वारा “बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा” माना जाता है।
 - SC ने **कथित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के त्वरित और व्यापक समाधान** की आवश्यकता पर जोर दिया।
- SC ने नोटिस भेजकर याचिका पर राज्यों और केंद्र से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा।

कानून भारतीय जेलों के अंदर जातगत भेदभाव की अनुमति कैसे देते हैं?

- **औपनिवेशिक नीतियों की वरिष्ठता:**
 - औपनिवेशिक वरिष्ठता में नहिं भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली मुख्य रूप से सुधार या पुनर्वास के बजाय सजा पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - लगभग 130 वर्ष पुराना ‘जेल अधिनियम, 1894’, कानूनी ढाँचे की पुरानी प्रकृति को रेखांकित करता है।
 - इस अधिनियम में **कैदियों के सुधार और पुनर्वास** के लिये प्रावधानों का अभाव है।
 - मौजूदा कानूनों में कमियों को पहचानते हुए, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs-MHA) ने ‘जेल अधिनियम, 1894’, ‘कैदी अधिनियम, 1900’ और ‘कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950’ की समीक्षा की।
 - इस समीक्षा से प्रासंगिक प्रावधानों को भविष्योन्मुखी ‘**आदर्श कारागार अधिनियम, 2023**’ में शामिल किया गया।
 - **आदर्श कारागार अधिनियम, 2023** के प्रभावी कार्यान्वयन, जसि मई 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, से **जेल की स्थितियों और प्रशासन में सुधार** एवं कैदियों के मानवाधिकारों तथा गरमा की रक्षा की उम्मीद है।
- **जेल नियमावली:**
 - राज्य-स्तरीय जेल मैनुअल, आधुनिक जेल प्रणाली की स्थापना के बाद से काफी हद तक अपरिवर्तित, औपनिवेशिक और जातगत दोनों मानसिकताओं को दर्शाते हैं।
 - मौजूदा **जेल मैनुअल जातव्यवस्था के केंद्रीय आधार को लागू करते हैं**, जसिमें शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर जोर दिया जाता है।
 - राज्य जेल मैनुअल में कहा गया है कि सफाई और झाड़ू लगाने जैसे कर्तव्यों को वशिष्ट जातियों के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिये, जसिसे जाति-आधारित भेदभाव कायम रहता है।
 - जेल मैनुअल, जैसे कि पश्चिम बंगाल में धारा 741 के तहत, सभी कैदियों के लिये भोजन पकाने और ले जाने पर “सर्वरक्षण हट्टियों” के एकाधिकार की रक्षा करते हैं।
 - छुआछूत के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद, जेल प्रशासन में जाति-आधारित नियम कायम हैं।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:**
 - 2013 के अधिनियम में **मैनुअल स्कैवेंजर्स** की प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद, यह स्पष्ट रूप से जेल प्रशासन को शामिल नहीं करता है; इस प्रकार, जेल मैनुअल जो **जेलों में जातगत भेदभाव और मैला ढोने की अनुमति देता है**, अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।
 - मैनुअल स्कैवेंजिंग से आशय शुष्क शौचालयों, खुली नालियों और सीवरों से मानव मल और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मैनुअल रूप से साफ करने, संभालने और नपिटाने की प्रथा से है।

आगे की राह

- राज्यों को वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला नियमों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी **मॉडल जेल मैनुअल, 2016** को अपनाना चाहिये।
 - **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला नियमों को अपनाया, जसिमें सभी कैदियों के लिये सम्मान एवं गैर-भेदभाव पर बल दिया गया।
- न्यायालयों को **भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करने**, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जेल प्रणाली में समानता को बढ़ावा देने के लिये न्यायिक हस्तक्षेप पर विचार करना चाहिये।
- सुधारों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिये **प्रभावी ट्रैकिंग उपकरण** प्रदान करना साथ ही बेहतर न्यायपूर्ण जेल प्रणाली के निर्माण के लिये **अधिकारियों को ज़िम्मेदार** बनाया है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

?????:

प्रश्न1. “जातव्यवस्था नई पहचान के साथ सहयोगी रूप धारण कर रही है। इसलिये भारत में जातव्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता।” टपिपणी कीजिये। (2018)

प्रश्न2. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (ST) के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने के लिये राज्य द्वारा दो प्रमुख कानूनी पहल क्या हैं? (2017)

